


21.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वाद व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद-पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

